राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मुसप्र/2022/13 — दिनांक : 07/04/2022

कार्यवाही विवरण

राजस्थान आवासन मण्डल की ''सम्पत्ति आवंटन समिति'' की बैठक दिनांक 15–03–2022 को दोपहर 1:00 बजे माननीय प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं अध्यक्ष, केन्द्रीय सम्पत्ति आवंटन समिति की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुए:–

1.	श्री कुंजीलाल मीणा	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं अध्यक्ष, केन्द्रीय सम्पत्ति आवंटन समिति, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोडा	आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, जयपुर	सदस्य
3.	श्री लेखराज जागृत	निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर	सदस्य
4.	श्री नत्थू राम	अति0मु0 अभियंता–प्रथम, राज0आवा0मण्डल, जयपुर	सदस्य
5.	श्री विजय अग्रवाल	अति0मु0 अभियंता–द्वितीय, राज0आवा0मण्डल, जोधपुर	सदस्य
6.	श्री एम.एल.गुप्ता	तकनीकी सलाहकार, अध्यक्ष, राज0आवा0मण्डल, जयपुर	सदस्य
7.	श्रीमती संचिता बिश्नाई	सचिव, राज0आवा0मण्डल, जयपुर	सदस्य
8.	डॉ. प्रीति सिंह पंवार	मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राज0आ0मं0, जयपुर	सदस्य सचिव

बैठक में विशेष आमन्त्रित निम्नलिखित अधिकारी भी उपस्थित हुए :–

1. श्री अनिल माथुर, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, रा0आ0मं0, जयपुर।
2. श्रीमती संजय शर्मा, वित्तीय सलाहकार, रा0आ0म0, जयपुर।
3. श्री किशोर चन्द ढाका, उप आवासन आयुक्त, वृत–प्रथम/तृतीय, रा0आ0म0, जयपुर।
4. श्री जे.एस. बुगालिया, उप आवासन आयुक्त, वृत–द्वितीय, रा0आ0म0, जयपुर।
5. श्री अनिल सक्सैना, उप आवासन आयुक्त, वृत–कोटा, रा0आ0म0, कोटा।

बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही
1	विगत सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 29–10–2021 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि बाबत्।	विगत सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 29–10–2021 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।	CEM
2	सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 29–10–2021 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।	सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 29–10–2021 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन किया गया है।	CEM
3	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर द्वारा श्रीमती शांति देवी मीना पत्नी श्री उदाराम मीना को आवंटित आवास सख्या 8/MB/344, इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर के पास स्थित अतिरिक्त भू–पट्टी माप 21.60 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 8/MB/344 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्रीमती शांति देवी मीना पत्नी श्री उदाराम मीणा को आवंटित आवास सख्या 8/MB/344, **(कार्नर आवास)** इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर के पास स्थित अतिरिक्त भू–पट्टी माप 21.60 वर्ग मीटर भूमि में से नियमानुसार सड़क के घुमाव (Curve) को छोड़ते हुए एवं यदि सड़क के घुमाव पर आवंटी द्वारा अनाधिकृत निर्माण कर रखा है तो उसे खाली करवाकर मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक	DHC-III, Jaipur

	की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	मुसप्र / 2020 / 150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है। परन्तु, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकरणों में एकरूपता बनाये रखने हेतु पुनर्विचार करने के निर्देश प्रदान किये जाने पर प्रकरण स्थगित (Deffer) किया जाता है।	
4	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर द्वारा श्रीमती कृष्णा पत्नी स्व. श्री नन्द कुमार को आवंटित फ्लैट सख्या 3/16, (प्रथम तल) जवाहर नगर, जयपुर के पास स्थित अतिरिक्त भू–पट्टी माप 65.462 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। आवंटी द्वारा भू–पट्टी पर चार दीवारी का निर्माण किया हुआ है। **चार दीवारी के समीप से 11 के.वी. की विद्युत लाईन गुजर रही है। नियमानुसार विद्युत पोल से 2.5 मीटर छोड़ते हुए आवंटन की अनुशंषा की गयी है।** प्राप्त प्रस्तावानुसार फ्लैट संख्या 3 / 16 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र / 2020 / 150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्रीमती कृष्णा पत्नी स्व. श्री नन्द कुमार को आवंटित फ्लैट सख्या 3/16,, (प्रथम तल) जवाहर नगर, जयपुर के पास स्थित अतिरिक्त भू–पट्टी माप 65.462 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन चार दीवारी के समीप से 11 के.वी. की विद्युत लाईन गुजर रही है, नियमानुसार विद्युत पोल से 2.5 मीटर छोड़ते हुए एवं आवंटी द्वारा अतिरिक्त भू–पट्टी पर चार दीवारी का निर्माण किया हुआ होने के कारण कार्यालय आदेश क्रमांक 301 दिनांक 17–08–2006 के अनुसार वर्तमान आरक्षित दर का 25 प्रतिशत शास्ती वसूल करते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र / 2020 / 150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है। परन्तु, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकरणों में एकरूपता बनाये रखने हेतु पुनर्विचार करने के निर्देश प्रदान किये जाने पर प्रकरण स्थगित (Deffer) किया जाता है।	DHC-III, Jaipur
5	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर द्वारा श्रीमती विशाखा शर्मा पत्नी श्री ऐरावत शर्मा को आवंटित फ्लैट सख्या 11/456, (भू–तल) मालवीय नगर, जयपुर के पास स्थित अतिरिक्त भू–पट्टी माप 39.15 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। **आवंटी द्वारा भू–पट्टी पर टीन सेड निर्माण कर अपने अधिकार में ले रखा है।** प्राप्त प्रस्तावानुसार फ्लैट संख्या 11/456 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र / 2020 / 150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्रीमती विशाखा शर्मा पत्नी श्री ऐरावत शर्मा को आवंटित फ्लैट सख्या 11/456, (भू–तल) मालवीय नगर, जयपुर के पास स्थित अतिरिक्त भू–पट्टी माप 39.15 वर्ग मीटर भूमि पर आवंटी द्वारा टीन सेड का निर्माण कर अपने अधिकार में ले रखा होने के कारण कार्यालय आदेश क्रमांक 301 दिनांक 17–08–2006 के अनुसार वर्तमान आरक्षित दर का 25 प्रतिशत शास्ती वसूल करते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र / 2020 / 150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया। परन्तु, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकरणों में एकरूपता बनाये रखने हेतु पुनर्विचार करने के निर्देश प्रदान किये जाने पर प्रकरण स्थगित (Deffer) किया जाता है।	DHC-III, Jaipur

6	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–कोटा द्वारा श्रीमती उषा देवी जसोरिया को आवंटित आवास सख्या 1–ए–1, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा के पास स्थित अतिरिक्त भू–पट्टी माप 181.87 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। **आवंटी द्वारा भू–पट्टी पर आंशिक निर्माण करके बाउण्ड्रीवाल बनाकर भू–पट्टी को अपने कब्जे में ले रखा है।** प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास सख्या 1–ए–1 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र / 2020 / 150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–कोटा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्रीमती उषा देवी जसोरिया को आवंटित आवास सख्या 1–ए–1, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा के पास स्थित अतिरिक्त भू–पट्टी माप 181.87 वर्ग मीटर भूमि आवंटित आवास के मानक क्षेत्रफल से अधिक होने एवं आवंटी द्वारा अतिरिक्त भू–पट्टी पर अवैध निर्माण कर अपने कब्जे में कर रखा होने के कारण अवैध निर्माण हटाने हेतु मण्डल नियमानुसार नोटिस दिया जाकर खाली करवा लिया जावे एवं ऐसे प्रकरणों की पुनः जांच करवाकर प्रस्तुत करने हेतु स्थगित (Deffer) करने का निर्णय लिया गया।	DHC-KOTA
7	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर द्वारा श्री नासिर खान को आवंटित आवास सख्या 1/405, स्काउट फील्ड योजना, सवाईमाधोपुर के पास स्थित अतिरिक्त भू–पट्टी माप 85.21 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। **आवंटी द्वारा भू–पट्टी पर चार दीवारी व अन्य निर्माण किया हुआ है।** प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास सख्या 1/405 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र / 2020 / 150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री नासिर खान को आवंटित आवास सख्या 1/405, स्काउट फील्ड योजना, सवाईमाधोपुर के पास स्थित अतिरिक्त भू–पट्टी माप 85.21 वर्ग मीटर भूमि आवंटित आवास के मानक क्षेत्रफल से अधिक होने एवं आवंटी द्वारा अतिरिक्त भू–पट्टी पर अवैध निर्माण कर अपने कब्जे में ले रखा होने के कारण अवैध निर्माण हटाने हेतु मण्डल नियमानुसार नोटिस दिया जाकर खाली करवा लिया जावे एवं ऐसे प्रकरणों की पुनः जांच करवाकर प्रस्तुत करने हेतु स्थगित (Deffer) करने का निर्णय लिया गया।	DHC-III, Jaipur
8	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर द्वारा श्रीमती सरोज नागपाल पत्नी श्री मिलखराज नागपाल को आवंटित फ्लैट सख्या 3/67 (प्रथम तल), जवाहर नगर योजना, जयपुर के पास स्थित अतिरिक्त भू–पट्टी माप 78.122 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। **आवंटिया द्वारा भू–पट्टी पर चार दीवारी का निर्माण किया हुआ है। चार दीवारी के समीप से 11 के.वी. की विद्युत लाईन गुजर रही है। नियमानुसार विद्युत पोल से 2.50 मीटर छोड़ते हुए आवंटन योग्य उपलब्ध भू–पट्टी माप 78.122 वर्ग मीटर है।** प्राप्त प्रस्तावानुसार फ्लैट सख्या 3/67 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र / 2020 / 150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्रीमती सरोज नागपाल पत्नी श्री मिलखराज नागपाल को आवंटित फ्लैट सख्या 3/67 (प्रथम तल), जवाहर नगर योजना, जयपुर के पास स्थित अतिरिक्त भू–पट्टी माप 78.122 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन चार दीवारी के समीप से 11 के.वी. की विद्युत लाईन गुजर रही है, नियमानुसार विद्युत पोल से 2.5 मीटर छोड़ते हुए एवं आवंटी द्वारा भू–पट्टी पर चार दीवारी का निर्माण किया हुआ होने के कारण कार्यालय आदेश क्रमांक 301 दिनांक 17–08–2006 के अनुसार वर्तमान आरक्षित दर का 25 प्रतिशत शास्ती वसूल करते हुए मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र / 2020 / 150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन	DHC-III, Jaipur

	आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	का निर्णय लिया गया है। परन्तु, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकरणों में एकरूपता बनाये रखने हेतु पुनर्विचार करने के निर्देश प्रदान किये जाने पर प्रकरण स्थगित (Deffer) किया जाता है।	
9	उप आवासन आयक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर द्वारा श्री सुभाष, महरिया माननीय भूतपूर्व सांसद को मण्डल की इंदिरा गांधी नगर, आवासीय योजना, जयपुर में आवंटित आवास संख्या 1/एच/365 को पारस्परित राजीनामें के आधार पर माननीय राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली में मण्डल द्वारा दायर विचाराधीन रिविजन पिटीशन को प्रत्याहरित करने की स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 15–02–2008 की लागत पर उपलब्ध आवासों में से लॉटरी के माध्यम से अन्य दूसरा आवास आवंटित किये जाने हेतु प्रस्ताव सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है।	उप आवासन आयक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री सुभाष महरिया, माननीय भूतपूर्व सांसद को मण्डल की इंदिरा गांधी नगर, आवासीय योजना, जयपुर में आवंटन के पश्चात् निरस्त आवास संख्या 1/एच/365 के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली में मण्डल द्वारा दायर विचाराधीन रिविजन पिटीशन को प्रत्याहरित करते हुए दिनांक 15–02–2008 की लागत पर उपलब्ध आवासों में से लॉटरी के माध्यम से अन्य दूसरा आवास आवंटित किये जाने सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।	DHC-III, Jaipur
10	उप आवासन आयक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर द्वारा श्रीमती निशा प्रधान पत्नी स्व. श्री राधा मोहन शर्मा को मण्डल की मालवीय नगर, आवासीय योजना, जयपुर में आवंटित फ्लैट संख्या 12/1300 (भूतल) के पास स्थित अतिरिक्त भू–पट्टी माप 24.97 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्राप्त प्रस्तावानुसार फ्लैट सख्या 12/1300 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्रीमती निशा प्रधान पत्नी स्व. श्री राधा मोहन शर्मा को मण्डल की मालवीय नगर, आवासीय योजना, जयपुर में आवंटित फ्लैट संख्या 12/1300 (भूतल) के पास स्थित अतिरिक्त भू–पट्टी माप 24.97 वर्ग मीटर भूमि मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है। परन्तु, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकरणों में एकरूपता बनाये रखने हेतु पुनर्विचार करने के निर्देश प्रदान किये जाने पर प्रकरण स्थगित (Deffer) किया जाता है।	DHC-III, Jaipur
11	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–कोटा द्वारा श्रीमती मनभर देवी पत्नी स्व. श्री बजरंग लाल को आवंटित आवास सख्या 2–ई–26, तलवण्डी, कोटा के पास स्थित अतिरिक्त भू–पट्टी माप 137.50 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। **आवंटी द्वारा भू–पट्टी पर निर्माण करके अतिक्रमण कर रखा है।** प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास सख्या 2–ई–26 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–कोटा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्रीमती मनभर देवी पत्नी स्व. श्री बजरंग लाल को आवंटित आवास सख्या 2–ई–26, तलवण्डी, कोटा के पास स्थित अतिरिक्त भू–पट्टी माप 137.50 वर्ग मीटर भूमि आवंटित आवास के मानक क्षेत्रफल से अधिक होने एवं आवंटी द्वारा अतिरिक्त भू–पट्टी पर अवैध निर्माण कर अपने कब्जे में ले रखा होने के कारण अवैध निर्माण हटाने हेतु मण्डल नियमानुसार नोटिस दिया जाकर खाली करवा लिया जावे एवं ऐसे प्रकरणों की पुनः जांच करवाकर	DHC-Kota

	आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्तुत करने हेतु स्थगित (Deffer) करने का निर्णय लिया गया।	
12	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–कोटा द्वारा श्रीमती भूली मीणा पत्नी श्री गजराज मीणा को आवंटित आवास सख्या 8–सी–12 कार्नर, महावीर नगर तृतीय, कोटा के पास स्थित अतिरिक्त भू–पट्टी माप 95.625 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। **आवंटी द्वारा भू–पट्टी पर प्रथम तल तक निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है।** प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास सख्या 8–सी–12 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तो के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–कोटा द्वारा श्रीमती भूली मीणा पत्नी श्री गजराज मीणा को आवंटित आवास सख्या 8–सी–12 कार्नर, महावीर नगर तृतीय, कोटा के पास स्थित अतिरिक्त भू–पट्टी माप 95.625 वर्ग मीटर भूमि आवंटित आवास के मानक क्षेत्रफल से अधिक होने एवं आवंटी द्वारा अतिरिक्त भू–पट्टी पर अवैध निर्माण कर रखा होने के कारण अवैध निर्माण हटाने हेतु मण्डल नियमानुसार नोटिस दिया जाकर खाली करवा लिया जावे एवं ऐसे प्रकरणों की पुनः जांच करवाकर प्रस्तुत करने हेतु स्थगित (Deffer) करने का निर्णय लिया गया।	DHC-Kota
13	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जयपुर द्वारा श्रीमती देवी जेठानी पत्नी श्री भगवान दास जेठानी को आवंटित आवास सख्या 10/1, वैशाली नगर आवासीय योजना, अजमेर के पास स्थित अतिरिक्त भू–पट्टी माप 59.40 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 10/1 के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तो के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्रीमती देवी जेठानी पत्नी श्री भगवान दास जेठानी को आवंटित आवास सख्या 10/1, वैशाली नगर आवासीय योजना, अजमेर के पास स्थित अतिरिक्त भू–पट्टी माप 59.40 वर्ग मीटर भूमि मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तो के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है। परन्तु, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकरणों में एकरूपता बनाये रखने हेतु पुनर्विचार करने के निर्देश प्रदान किये जाने पर प्रकरण स्थगित (Deffer) किया जाता है।	DHC-II, Jaipur
14	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर द्वारा श्रीमती संगीता शर्मा पत्नी श्री ओम प्रकाश शर्मा को आवंटित फ्लैट सख्या 9/365, (प्रथम तल) मालवीय नगर, जयपुर के साईड में उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी माप 52.65 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। **भू–तल के आवंटी द्वारा वर्तमान में अवैध रूप से चार दीवारी का निर्माण कर फ्लैट में खिड़की व दरवाजे निकाल कर उपयोग में लिया जा रहा है।** प्राप्त प्रस्तावानुसार फ्लैट संख्या 9/365, (प्रथम तल) के साईड में उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्रीमती संगीता शर्मा पत्नी श्री ओम प्रकाश शर्मा को आवंटित फ्लैट सख्या 9/365, (प्रथम तल) मालवीय नगर, जयपुर के साईड में उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी माप 52.65 वर्ग मीटर भूमि के सम्बन्ध फ्लैट संख्या 9/357 के आवंटी द्वारा अनापत्ति नहीं दिये जाने के कारण अतिरिक्त भू–पट्टी माप 52.65 वर्ग मीटर पर भू–तल के आवंटी द्वारा किये गये अवैध निर्माण को हटाकर फ्लैट संख्या 9/357 (भू–तल) एवं 9/365, (प्रथम तल) के आवंटियों को नीलामी के माध्यम से आवंटित करने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।	DHC-III, Jaipur

	दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।		
15	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–कोटा द्वारा श्रीमती स्नेहलता चौधरी को आवंटित आवास सख्या 1–ए–24, महावीर नगर तृतीय, कोटा के पास में उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी माप 70.87 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास संख्या 1–ए–24, महावीर नगर तृतीय, कोटा के पास में उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–कोटा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्रीमती स्नेहलता चौधरी को आवंटित आवास सख्या 1–ए–24, महावीर नगर तृतीय, कोटा के पास में उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी माप 70.87 वर्ग मीटर भूमि में से नियमानुसार सड़क के घुमाव (Curve) को छोड़ते हुए एवं यदि सड़क के घुमाव पर आवंटी द्वारा अनाधिकृत निर्माण कर रखा है तो उसे खाली करवाकर मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है। परन्तु, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकरणों में एकरूपता बनाये रखने हेतु पुनर्विचार करने के निर्देश प्रदान किये जाने पर प्रकरण स्थगित (Deffer) किया जाता है।	DHC-KOTA
16	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जोधपुर द्वारा श्री भोजराज प्रजापत को आवंटित आवास सख्या 23/31, चौपासनी योजना, जोधपुर के पास में उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी माप 67.50 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आवास सख्या 23/31, चौपासनी योजना, जोधपुर के पास में उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार आवंटन हेतु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री भोजराज प्रजापत को आवंटित सख्या 23/31, चौपासनी योजना, जोधपुर के पास में उपलब्ध अतिरिक्त भू–पट्टी माप 67.50 वर्ग मीटर भूमि मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/150 दिनांक 19–06–2020 की शर्तों के अनुसार सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है। परन्तु, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकरणों में एकरूपता बनाये रखने हेतु पुनर्विचार करने के निर्देश प्रदान किये जाने पर प्रकरण स्थगित (Deffer) किया जाता है।	DHC-II, Jodhpur
17	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जयपुर द्वारा आंध्रा ऐसोसिएशन, जयपुर को मण्डल की मानसरोवर आवासीय योजना, जयपुर के सेक्टर–6 में संस्थानिक भूखण्ड संख्या 6–01 क्षेत्रफल 1600.00 वर्ग मीटर भूमि में से 300.35 वर्ग मीटर भूमि सामुदायिक केन्द्र हेतु वर्तमान संस्थानिक दर एवं नियमानुसार देय अन्य राशियां वसूल करते हुए आवंटन करने हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्राप्त प्रस्तावानुसार आंध्रा ऐसोसिएशन, जयपुर को मानसरोवर योजना जयपुर में 300.35 वर्ग मीटर भूमि सामुदायिक केन्द्र हेतु आवंटन का प्रकरण समिति के समक्ष	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार आंध्रा ऐसोसिएशन, जयपुर को मण्डल की मानसरोवर आवासीय योजना, जयपुर के सेक्टर–6 में संस्थानिक भूखण्ड संख्या 6–01 क्षेत्रफल 1600.00 वर्ग मीटर भूमि में से 300.35 वर्ग मीटर भूमि सामुदायिक केन्द्र हेतु वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर व नियमानुसार देय अन्य राशियां वसूल करते हुए सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।	DHC-II, Jaipur

	अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।		
18	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर द्वारा श्री खण्डेलवाल वैश्य समिति, मालवीय नगर, जयपुर को मण्डल की मालवीय नगर आवासीय योजना, जयपुर के सेक्टर–10 में सामुदायिक केन्द्र हेतु पूर्व में आवंटित 828.875 वर्ग मीटर भूमि के निरस्तीकरण को प्रत्याहरित कर मण्डल नियमानुसार निर्माण में विलम्ब की शास्ती वसूल कर बहाल किये जाने एवं पूर्व में आवंटित भूमि के अतिरिक्त पम्प हाऊस के स्थान की 108.00 वर्ग मीटर भूमि को वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर एवं नियमानुसार अन्य विविध खर्चे वसूल करते हुए आवंटित किये जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार श्री खण्डेलवाल वैश्य समिति, मालवीय नगर, जयपुर को मण्डल की मालवीय नगर आवासीय योजना, जयपुर के सेक्टर–10 में सामुदायिक केन्द्र हेतु पूर्व में आवंटित 828.875 वर्ग मीटर भूमि पर संस्था द्वारा निर्माण कार्य कर लिये जाने के कारण पुर्नजीवित करने के पेटे 25 प्रतिशत अतिरिक्त शास्ती वसूल करते हुए निरस्तीकरण को प्रत्याहरित करने एवं पूर्व में आवंटित भूमि के अतिरिक्त पम्प हाऊस के स्थान की 108.00 वर्ग मीटर भूमि सहित कुल 936.875 वर्ग मीटर भूमि वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर एवं नियमानुसार अन्य विविध खर्चों की राशियां वसूल करते हुए आवंटित किये जाने का सर्व सम्मति से आवंटन का विनिश्चय किया जाकर प्रकरण अंतिम निर्णय हेतु राज्य सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया है।	DHC-III, Jaipur

टेबल एजेण्डा

बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही
1	उप आवासन आयुक्त वृत्त–कोटा द्वारा नगर पालिका, अन्ता को मण्डल की अन्ता आवासीय योजना, अन्ता में ओ.सी.एफ. हेतु आरक्षित भूमि पुस्तकालय निर्माण हेतु वर्तमान संस्थानिक दर एवं नियमानुसार देय अन्य राशियां वसूल करते हुए आवंटन किये जाने हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–कोटा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार नगर पालिका, अन्ता को पुस्तकालय निर्माण हेतु मण्डल की अन्ता आवासीय योजना, अन्ता में ओ.सी.एफ. हेतु आरक्षित 2083.20 वर्ग मीटर भूमि आवंटन नीति–2015 के मापदण्ड (1500 वर्ग मीटर) से 500.20 वर्ग मीटर भूमि अधिक होने एवं शेष 500.20 वर्ग मीटर भूमि का मण्डल द्वारा अन्य स्वतंत्र उपयोग हेतु नहीं लिये जा सकने के कारण कुल 2083.20 वर्ग मीटर भूमि वर्तमान संस्थानिक दर एवं नियमानुसार देय अन्य राशियां वसूल करते हुए सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है। साथ ही भूमि आवंटन नीति–2015 में दिये गये प्रावधान से अधिक क्षेत्रफल होने के कारण शिथिलता की स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया है।	DHC-Kota

नोटः— मण्डल द्वारा आवंटित फ्लैटों के पास उपलब्ध अतिरिक्त भू—पट्टी पर निर्माण स्वीकृति की अवस्था में भू—पट्टी स्वामी द्वारा उस पर बहुमंजिला निर्माण करवाने की स्थिति में मण्डल द्वारा निर्मित फ्लेटों की निजता का हनन होने व भवन विनियमों के विरूद्ध अवैध निर्माण होने की सम्भवना है। निर्माण स्वीकृति की अवस्था में भू—पट्टी स्वामी द्वारा मण्डल द्वारा आवंटित फ्लेटों की संरचना में छेड़खानी/रद्दोबदल कर निर्मित फ्लेटों की सुरक्षा को खतरा/भू—उपयोग के परिवर्तन की सम्भावना है।

1— उक्त परिस्थितियों की सम्भवना को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 12—01—2021 की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि फ्लेटों के पास उपलब्ध भू—पट्टी को बिना किसी निर्माण स्वीकृति के ही आवंटित किया जायेगा तथा आवंटित की जाने वाली भू—पट्टी को खाली रखना होगा तथा उक्त भूमि को पार्किंग/पेड़ पौधे लगाने के उपयोग में ही लिया जा सकेगा।

2— मण्डल द्वारा निर्मित दो/तीन मंजिले फ्लेटों के पास उपलब्ध भू—पट्टी को प्रथम/द्वितीय तल के आवंटी को भी उनकी सहमति उपरान्त भूतल पर उपलब्ध भू—पट्टी में से भूमि आवंटित की जा सकेगी।

अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक
सदस्य सचिव (पीएसी)

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1—निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष, केन्द्रीय सम्पत्ति आवंटन समिति, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2—निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3—निदेशक (विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4—अतिरिक्त निजी सचिव, मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5—अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता,प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
6—तकनीकि सलाहकार, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7—अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8—निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9—उप आवासन आयुक्त, वृत्त————————, राजस्थान आवासन मण्डल, ...।
10—रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक